भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5715

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

क्षय रोग का माइक्रोस्कोपी निदान

† 5715. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण के अनुसार क्षय रोग के माइक्रोस्कोपी निदान के माध्यम से जांचे गए एक लाख लोगों में से क्षय रोग के केवल लगभग 150 मामले ही सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक लाख लोगों के संबंध में क्षय रोग जांच हेतु किए गए मोलेक्यूलर निदान अथवा कार्टिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (सीबीएनएएटी) जैसे परीक्षणों से क्षय रोग के लगभग 300 मामले सामने आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में मोलेक्यूलर निदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या क्षय रोग की जांच हेतु मोलेक्यूलर निदान के लिए अलग से कोई बजट प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक भारत में राष्ट्रीय क्षय रोग व्याप्तता सर्वेक्षण (एनएटीबीपीएस) किया गया था। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि स्मीयर माइक्रोस्कोपी प्रति लाख जनसंख्या पर 160 टीबी के मामलों का पता लगा सकती है जबकि एनएएटी प्रति लाख जनसंख्या पर 301 टीबी के मामलों का पता लगा सकती है।

राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत देश के सभी जिलों में आणविक नैदानिक क्षमता को मजबूत करने के लिए एनएएटी प्रयोगशालाओं की संख्या वर्ष 2015 में 121 से बढ़ाकर वर्ष 2025 में 8,540 कर दी गई है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनटीईपी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आवंटित बजट में आणविक प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए बजट शामिल है। एनटीईपी कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पिछले तीन वर्षों में आवंटित बजट का ब्यौरा निम्नानुसार है:

एनटीईपी के तहत वित्तीय आवंटन	
वित्त वर्ष	आवंटन (करोड़ रुपये में)
2022-23	1666.33*
2023-24	1888.82*
2024-25	2090.53*
* आवंटन और व्यय में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नकद अनुदान शामिल नहीं है, जो एनएचएम द्वारा सीधे संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एक सामान्य पूल यानी आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें एनटीईपी शामिल है, के रूप में जारी किया जा रहा है।	

*****